पेंशन-अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	कौन से नियम मेघालय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृति निर्धारित करते हैं ?	समय-समय पर यथा संशोधित मेघालय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1983 तथा मेघालय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1992 ।
2.	पेंशन के विभिन्न प्रकार क्या है ?	पेंशन के विभिन्न प्रकार, यथा (1) अधिवर्षिता पेंशन, (2) सेवानिवृत्ति पेंशन, (3) निगम, कंपनी अथवा निकाय में अथवा के अधीन आमेलन पर पेंशन, (4) अशक्त पेंशन, (5) प्रतिपूर्ति पेंशन, (6) अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन, (7) अनुकंपा भत्ता आदि हैं । इनके अतिरिक्त पेंशन के अन्य प्रकार भी हैं, यथा पारिवारिक पेंशन तथा विशेष पारिवारिक पेंशन ।
3.	पेंशन किसे स्वीकार्य है ?	मेघालय सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों जो पेंशनी स्थापना के अधीन है तथा जिन्होंने 1 अप्रैल, 2010 से पूर्व मेघालय सरकार में सेवाएँ आरंभ की है तथा न्यूनतम 10 वर्षो की अर्हक सेवाएँ प्रदान की है, को पेंशन स्वीकार्य है ।
4.	पेंशन किसे स्वीकार्य नहीं है ?	नियम इन पर लागू नहीं होंगे- (1) कार्य प्रभारित स्थापना के व्यक्तियों, (2) नैमित्तिक तथा दैनिक दर पर रोज़गार में व्यक्तियों, (3) कार्यालयी व्ययों से सवैतनिक व्यक्तियों, (4) अंशदायी भविष्य निधि लाभों के हकदार व्यक्तियों, (5) करार के अंतर्गत नियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर जब करार दूसरो को प्रदान करता है तथा (6) व्यक्तियों जिनकी सेवाओं के नियम व शर्तें जो कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य नियमावली द्वारा नियमित किए जाते हैं ।
5.	यदि अर्हक सेवाएँ 10 वर्षो से कम है, तो क्या पेंशन हितलाभ अनुमत है ?	यदि अर्हक सेवाएँ 10 वर्षो से कम है, कोई भी पेंशन अनुमत नहीं है, किंतु सेवा उपदान छह मासिक अर्हक सेवा अवधि के अनुसार अनुमत होगी ।
6.	पूर्ण पेंशन हेतु कितनी सेवा अवधि आवश्यक है ?	पूर्ण पेंशन हेतु 30 (तीस) वर्षो की अर्हक सेवा अवधि आवश्यक है । (23 फरवरी, 2010 से प्रभावी, इससे पहले यह 33 वर्ष था)
7.	पूर्ण पेंशन हेतु यदि अर्हक सेवा आवश्यक सेवा से कम हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा ?	यदि अर्हक सेवा की अवधि 30 (तीस) वर्षो से कम होने पर, पेंशन राशि 23 फरवरी, 2010 (23/01/2010 से पूर्व यह 33 वर्ष थी) से प्रभावी प्रदत्त सेवा के आनुपातिक होगी ।
8.	पेंशन की राशि क्या है ?	मेघालय चतुर्थ वेतन आयोग के अनुसार, पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले की पिछले छः महीनों के औसत परिलब्धियों 50% के बराबर है, जो न्यूनतम 3%50/- है एवं अधिकतम मेघालय सरकार के उच्चतम वेतन के 50% (मेघालय सरकार के उच्चतम वेतन

<table>
<tr><td></td><td></td><td>48,980/- मात्र) अथवा %4,490/- = पेंशन की वास्तविक राशि अर्हक सेवा पर निर्भर होगी।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान (मृ.स.सेनि.उ.) की राशि क्या है तथा इसका परिकलन किस प्रकार किया जाता है ?</td><td>मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की गणना प्रत्येक पूर्ण छः माह की अवधि के लिए परिलब्धियों (मूल वेतन) के एक चौथाई के रूप में की जाती है, जो परिलब्धियों के अधिकतम सोलह व आधा गुना, सात लाख तक सीमित है।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान को कब रोका जाता है ?</td><td>यदि पेंशनर ने किसी सरकारी क्वार्टर पर दखल किया हुआ है अथवा उसके विरुद्ध सतर्कता मामला लंबित है, तो पेंशन संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी के सुझाव पर, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के प्राधिकार/भुगतान को रोका जा सकता है ।</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>क्यों मेरा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान पूर्ण रूप से मुझे प्राधिकृत नहीं है तथा शेष कब प्रदान किया जाएगा ?</td><td>आपके मामले में, यदि आपके कार्यालय प्रमुख द्वारा महालेखाकार कार्यालय से प्रतिदाय परामर्शों/ गैर-मांग प्रमाणपत्र/अंतिम वेतन प्रमाणपत्र मांगे जाने पर, आपके मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के एक भाग को रोका जा सकता है । इन दस्तावेज़ों की प्राप्ति पर, रोके गए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान शेष को मुक्त कर दिया जाएगा ।</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>क्या पेंशन राशि नियत होती है ?</td><td>नहीं, वेतन आयोग के परामर्शानुसार, प्राधिकृत पेंशन परिशोधित होती है । 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनर की पेंशन का अतिरिक्त भाग भी निम्नलिखितानुसार अनुमत होगाः-
<table>
<tr><td>80 या उससे अधिक किंतु 85 से कम</td><td>मूल पेंशन का %0%</td></tr>
<tr><td>85 या उससे अधिक किंतु 90 से कम</td><td>मूल पेंशन का 30%</td></tr>
<tr><td>90 या उससे अधिक किंतु 95 से कम</td><td>मूल पेंशन का 40%</td></tr>
<tr><td>95 या उससे अधिक किंतु 100 से कम</td><td>मूल पेंशन का 50%</td></tr>
<tr><td>100 या उससे अधिक</td><td>मूल पेंशन का 100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>क्या पेंशन का आहरण किया जा सकता है, यदि हाँ, किसके द्वारा तथा किन परिस्थितियों में ?</td><td>यदि किसी विभागीय अथवा न्यायिक प्रक्रिया में, सेवानिवृत्ति उपरांत पुनर्नियुक्ति सहित सेवावधि में प्रदत्त सेवाओं के दौरान पेंशनर घोर दुराचार अथवा उपेक्षा का दोषी पाया जाता है, तो राज्यपाल पेंशन अथवा उसके भाग को स्थायी अथवा किसी विशेष अवधि के लिए रोकने अथवा आहरण करने का तथा सरकार को हुई संपूर्ण अथवा आंशिक आर्थिक हानि की स्थिति में, पेंशन से वसूली करने हेतु आदेश देने का अधिकार रखता है ।</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>क्या पेंशन के संदर्भ में, सरकारी</td><td>हाँ, एक सरकारी कर्मचारी को आरंभिक सेवा अथवा पद पुष्टि होने पर,</td></tr>
</table>

	कर्मचारियों को नामांकन देना अनिवार्य है ? यदि हाँ, तो कब व कैसे ?	जैसा भी मामला हो, एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति देय उपदान प्राप्त करने के अधिकार हेतु प्रपत्र-1 अथवा प्रपत्र-% में, नामांकन देने की आवश्यकता है ।
15.	पेंशन किसे तथा कितनी अवधि तक ग्राह्य है ?	मेघालय सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों जो पेंशनी स्थापना के अधीन है तथा जिन्होंने 1 अप्रैल, %010 से पूर्व मेघालय सरकार में सेवाएँ आरंभ की है तथा न्यूनतम 10 वर्षो की अर्हक सेवाएँ प्रदान की है, उनके परिवारजनों को पेंशन स्वीकार्य है । पारिवारिक पेंशन निम्नलिखित को देय हैः- <u>वर्ग-I</u> (क) विधवा/विधुर को उनकी मृत्यु अथवा पुनःविवाह, जो भी पहले हो (ख) पुत्र/पुत्री सहित विधवा पुत्री को उनके विवाह तक/ पुनःविवाह अथवा उसके अर्जन आरंभ करने तथा %5 वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो. (बच्चों में विधिक दत्तक पुत्र/पुत्री सहित ।) <u>वर्ग-II</u> (ग) उपरोक्त वर्ग-I में सम्मलित अविवाहित/ विधवा/ तलाकशुदा पुत्री को विवाह/पुनःविवाह अथवा उसके अर्जन आरंभ करने अथवा मृत्यु पर्यंत, जो भी पहले हो । (घ) सरकारी कर्मचारियों के जीवित रहते उनपर पूर्णतयाः निर्भर माता-पिता, बशर्ते मृत सरकारी कर्मचारी अपने पीछे एक विधवा अथवा बच्चे छोड़ नहीं गया है । वर्ग-I के पात्र सदस्य पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार नहीं रहने की स्थिति में ही, वर्ग-II में सम्मलित अविवाहित/ तलाकशुदा/ विधवा पुत्रियों तथा निर्भर माता-पिता को पारिवारिक पेंशन का भुगतान होगा । अपने वर्ग में, बच्चों को पारिवारिक पेंशन उनकी जन्म तिथि के क्रम से ही दी जाएगी तथा उनमें कनिष्ठतम तब तक पारिवारिक पेंशन हेतु अयोग्य होगा जब तक उस वर्ग में, उससे वरिष्ठ भाई/ बहन पारिवारिक पेंशन अनुदान हेतु अयोग्य करार नहीं होंगें ।
16.	क्या सेवानिवृत्ति उपरांत पति/ पत्नी को पारिवारिक पेंशन स्वीकार्य है ?	हाँ, 01.01.%007 अथवा उससे पूर्व सेवानिवृत्त अथवा मृत कार्मिकों के पति/ पत्नी को सेवानिवृत्ति उपरांत, पारिवारिक पेंशन स्वीकार्य है ।
17.	क्या सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति उपरांत जन्मे बच्चे को पारिवारिक पेंशन स्वीकार्य है ?	हाँ ।
18.	गुमशुदा कर्मचारी के संदर्भ में	गुमशुदा कर्मचारी के परिवार को आवश्यक शिकायत पुलिस में दर्ज

	पारिवारिक पेंशन का दावा करने की क्या प्रक्रिया है ?	करवानी चाहिए तथा सभी प्रकार के यथासंभव प्रयासों को करने के बावजूद भी कर्मचारी को ढूंढने मे असमर्थता की रिपोर्ट भी प्राप्त करनी चाहिए ।
19.	गुमशुदा कर्मचारी के प्रकरण में परिवार के दावे का किस प्रकार निपटान करना चाहिए ?	एक वर्ष उपरांत, गुमशुदा कर्मचारी के नामित व्यक्तियों/ आश्रितों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान, प्रथम सूचना रिपोर्ट/शिकायत की तिथि से पारिवारिक पेंशन तथा यथोचित व स्वीकार्य अन्य देय उसके क्षतिपूर्ति बंधपत्र में यह प्रस्तुत करने पर कि गुमशुदा कर्मचारी के विपरीत सभी प्रकार के देय भुगतानों को उसके किसी बाद की तिथि में उपस्थित होने व दावा प्रस्तुत करने की स्थिति में समयोजित किया जाएगा ।
20.	गुमशुदा कर्मचारी के प्रकरण में, मृ.स.सेनि.उ. तथा पारिवारिक पेंशन के अंतिम निपटान को कब संस्वीकृत किया जाता है?	मृत्यु प्रमाणित होने पर अथवा सात वर्ष के उपरांत बशर्ते मृत्यु के उचित व निर्विवाद प्रमाण अथवा न्यायालय की आज्ञप्ति प्रस्तुत करने पर, बीमा रक्षण सहित मृ.स.सेनि.उ. का अंतिम निपटान, यदि पारिवारिक पेंशन है, तो उसको भी नियमानुसार संस्वीकृत किया जाएगा ।
21.	यदि गुमशुदा कर्मचारी किसी को धोखा देने, आदि के लिए उत्तरदायी है, क्या इससे कोई अंतर आएगा ?	हाँ, ऐसे प्रकरण में, सरकारी कर्मचारी को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त करने अथवा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के निष्कर्ष उपरांत ही, दावे को ग्रहण किया जाएगा ।
22.	विशेष पारिवारिक पेंशन का क्या अर्थ है तथा इसे कब आरंभ किया गया था ?	4 जुलाई, %007 से मेघालय सरकार ने विशेष पारिवारिक पेंशन योजना आरंभ की है । इस योजना में, अन्य बातों के साथ, मृत सरकारी कर्मचारी के पेंशनी सेवा/पद में उत्पन्न अगले स्वजन/रिश्तेदारों, जिन्हें मूल-पद अथवा अस्थायी नियुक्ति प्राप्त है तथा कर्तव्य-निर्वहन के दौरान अथवा कर्तव्य-निर्वहन से संबंधित कारण से मारे जाते है, के बारे में भी उल्लेख किया गया है ।
23.	विशेष पारिवारिक पेंशन की सेवा अवधि कितनी है तथा यह कब तक स्वीकार्य है ?	वार्धिक लाभ, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों सहित मासिक वेतन की राशि (अंतिम आहरण वेतन) की समकक्ष दर पर ही विशेष पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाता है । यह मृत्यु की तिथि से आरंभ अवधि से कर्मचारी की सेवानिवृत्ति आयु तक, यदि वह जीवित रहता, तब तक मान्य होता है ।
24.	क्या विशेष पारिवारिक पेंशन पारिवारिक पेंशन के साथ स्वीकार्य है ?	नहीं, मेघालय सिविल सेवाएँ (पेंशन) नियमों, 1983 के अंतर्गत विशेष पारिवारिक पेंशन के स्थान पर पारिवारिक पेंशन स्वीकार्य है । [कृपया मेघालय सरकार, वित्तीय (वेतन संशोधन) विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ(पीआर)-71/09/184 दिनांक %3.0%.%010 के पैरा 8.1, 8.% व 8.3 का संदर्भ लें ।] <<< कार्यालय ज्ञापन के उपरोक्त पैरा के अवलोकन हेतु यहां क्लिक करें>>

<table>
<tr><td>25.</td><td>किन्हें विशेष पारिवारिक पेंशन स्वीकार्य है तथा कितनी अवधि तक ?</td><td>विशेष पारिवारिक पेंशन निम्नलिखित को स्वीकार्य हैः-
(क) विधवा/विधुर को मृत्यु अथवा पुनःविवाह तक, जो भी पहले हो;
(ख) (जीवित पति/ पत्नी के अभाव में) नाबालिग पुत्रों व अविवाहित पुत्रियों को;
(ग) (अर्हर पति/ पत्नी व बच्चों के अभाव में) सरकारी कर्मचारी जब तक जीवित था/थी, उसपर पूर्णतयाः निर्भर अभिभावक;
(घ) यदि दिवंगत सरकारी कर्मचारी ने अपने पीछे न तो विधवा व न ही बच्चों सहित पूर्णतयाः निर्भर अभिभावक छोड़े हैं, तो पूर्णतयाः निर्भर नाबालिग भाईयों तथा अविवाहित बहनें ।</td></tr>
<tr><td>26.</td><td>सरकारी कर्मचारी के किस वर्ग को पारिवारिक पेंशन स्वीकार्य नहीं है ?</td><td>पारिवारिक पेंशन इन्हें स्वीकार्य नहीं होगीः-
(क) आकस्मिकताओं से भुगतान किए गए व्यक्तियों; (ख) कार्य प्रभारित कार्मिकों; (ग) अनियत श्रमिक; (घ) संविदा अधिकारियों; (ङ) सेवा से निष्कासन अथवा पदच्युत करने के बाद मृत सरकारी कर्मचारी तथा उन्हें अनुकंपा भत्ता भी प्रदान किया गया था/है ।</td></tr>
<tr><td>27.</td><td>पारिवारिक पेंशन हेतु निर्भरता मानदंड क्या है ?</td><td>न्यूनतम पारिवारिक पेंशन के साथ महंगाई भत्ता/ राहत पारिवारिक पेंशन के उद्येश्य हेतु निर्भरता मानदंड है ।</td></tr>
<tr><td>28.</td><td>पारिवारिक पेंशन की राशि कितनी है ?</td><td>चतुर्थ मेघालय वेतन आयोग के अनुसार, सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व आहरित अंतिम वेतन के 30% जो कि न्यूनतम रूपये 3,%50/- मात्र तथा अधिकतम उच्चतम सरकारी वेतन (उच्चतम सरकारी वेतन रूपये 48,980/- मात्र है) के 30% अथवा रूपये 14,694/- मात्र के समतुल्य ही पेंशन राशि होगी ।</td></tr>
<tr><td>29.</td><td>क्या पारिवारिक पेंशन की राशि नियत होती है ?</td><td>नहीं, वेतन आयोग के परामर्शानुसार, प्राधिकृत पारिवारिक पेंशन को संशोधित किया जाता है । पेंशन की अतिरिक्त प्रमात्रा के अनुमोदन सहित पेंशनर के 80 वर्ष अथवा अधिक की आयु होने पर निम्नानुसार होगाः-
<table>
<tr><td>80 या उससे अधिक किंतु 85 से कम</td><td>मूल पेंशन का %0%</td></tr>
<tr><td>85 या उससे अधिक किंतु 90 से कम</td><td>मूल पेंशन का 30%</td></tr>
<tr><td>90 या उससे अधिक किंतु 95 से कम</td><td>मूल पेंशन का 40%</td></tr>
<tr><td>95 या उससे अधिक किंतु 100 से कम</td><td>मूल पेंशन का 50%</td></tr>
<tr><td>100 या उससे अधिक</td><td>मूल पेंशन का 100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>30.</td><td>पति/पत्नी के अतिरिक्त किसी सदस्य द्वारा पेंशन दावा प्रस्तुत करने की स्थिति में कौन से प्रलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने आवश्यक होते हैं ?</td><td>यदि सरकारी कर्मचारी विवाहित था, तो पति/पत्नी द्वारा पेंशन का दावा किया जा सकता है, किंतु, यदि पति/ पत्नी पेंशन का दावा नहीं करता है, तो पेंशन के कागजों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगेंः-
1. यदि सरकारी कर्मचारी का पति/ पत्नी पूर्वमृत (अर्थात् सरकारी कर्मचारी से पूर्व मृत्यु हो चुकी है), तो पति/ पत्नी का मृत्यु-प्रमाणपत्र</td></tr>
</table>

		। 2. पृथक्करण के प्रकरण में, "विवाह-विच्छेद प्रमाणपत्र"।
31.	मौलिक पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र पारिवारिक सदस्य को क्या करना चाहिए ?	सामान्यतः, पेंशन की भांति पारिवारिक पेंशन को भी एक साथ ही अनुमोदित व प्राधिकृत किया जाता है तथा इस तथ्य को पेंशन भुगतान आदेश में सूचित किया जाएगा । पेंशनर की मृत्यु उपरांत ही पारिवारिक पेंशन आहरण किया जाएगा । सेवा के दौरान, यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो विधवा/विधुर अपना दावा कार्यालयाध्यक्ष को प्रपत्र 8 में प्रस्तुत करेंगें, जो महालेखाकार के कार्यालय द्वारा पारिवारिक पेंशन का अनुमोदन व प्राधिकरण करेंगें । जहाँ दिवंगत सरकारी कर्मचारी अपने पीछे केवल एक बच्चा अथवा बच्चे, अभिभावक (नाबालिग बच्चा/बच्चे के प्रकरण में) अथवा वह बच्चा अथवा बच्चे पेंशन हेतु महालेखाकार कार्यालय के माध्यम से प्रपत्र 8 में कार्यालयाध्यक्ष को अनुमोदन व प्राधिकरण हेतु अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। पारिवारिक पेंशन हेतु प्रपत्र 8 में प्रस्तुत आवेदन के साथ मृत पेंशनर के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि को (क) यदि पेंशन भुगतान आदेश में पारिवारिक पेंशन राशि का उल्लेख किया गया है, तो पेंशन संवितरण प्राधिकरण को (ख) अन्य सभी प्रकार के पारिवारिक पेंशन अनुमोदन प्रकरणों में कार्यालयाध्यक्ष को ।
32.	पारिवारिक पेंशन किस अवधि तक देय होती है ?	आदेश में, एक समय में केवल एक पारिवारिक सदस्य को पारिवारिक पेंशन देय होती है तथा निम्नानुसार अवधि हेतुः- (क) विधवा/ विधुर के प्रकरण में, मृत्यु पर्यंत अथवा पुनःविवाह, जो भी पहले हो । (ख) नाबालिग पुत्र के प्रकरण में, 18 वर्ष की आयु तक । (ग) अविवाहित पुत्री के प्रकरण में, उसके %1 वर्ष की आयु होने तक अथवा विवाह अथवा रूपये %,550/- अथवा उससे अधिक प्रति माह अर्जन करने पर, जो भी पहले हो । (घ) उपरोक्त (क), (ख) व (ग) के उपरांत, किसी भी बेरोज़गार पुत्र/पुत्री, जो किसी मानसिक विकार/ अपंगता (मानसिक मंदिता सहित) अथवा शारीरिक अपंगता अथवा अशक्तता से पीड़ित है ।
33.	दो व दो से अधिक पत्नियों के प्रकरण में पारिवारिक पेंशन किस प्रकार देय होती है ?	दो व दो से अधिक विधवाओं के प्रकरण में, वरिष्ठतम उत्तरजीवी विधवा को पेंशन का भुगतान देय होगा । उसकी मृत्यु होने पर, द्वित्तीय उत्तरजीवी विधवा को देय होगा । "वरिष्ठता" शब्द से तात्पर्य विवाह की तिथि से वरिष्ठता के संदर्भ में है ।

34.	जुड़वा बच्चों को पारिवारिक पेंशन किस प्रकार देय होगी ?	जहाँ पारिवारिक पेंशन जुड़वाँ बच्चों को देय होती है, दोनों बच्चों को समान हिस्सों में भुगतान किया जाएगा, बशर्ते, जब उनमें से एक भी बच्चा स्वयं के हिस्से के लिए अपात्र होने की स्थिति में, अन्य बच्चे को लौटा देगा तथा दोनों ही अपात्र होने की स्थिति में, पारिवारिक पेंशन अगले पात्र इकलौते/ जुड़वा बच्चों को देय होगी ।
35.	क्या आंशिक न्यायिक विवाह विच्छेद की स्थिति में पारिवारिक पेंशन पति/पत्नी को देय होगी ?	हाँ, आंशिक न्यायिक विवाह विच्छेद की स्थिति में, पारिवारिक पेंशन पति/ पत्नी को देय होगी किंतु व्यभिचार के आधार पर पृथक पति/ पत्नी को पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगी ।
36.	क्या जिस पेंशनर की पत्नी नहीं है अथवा अन्य कोई बच्चा नहीं है, उसके जीवनकाल में उसके विकलांग बच्चे को पारिवारिक पेंशन संस्वीकृत होगी ?	नहीं, ऐसे प्रकरण में, आकस्मिकता की स्थिति में ही पारिवारिक पेंशन संस्वीकृत होगी । तदापि, महालेखाकार के कार्यालय द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश के दोनों अर्धों में, विकलांग बच्चे का पूर्ण विवरण अभिलेखित करना होगा । पेंशनर को यह सुझाव दिया जाता है कि अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व विकलांग बच्चे को पारिवारिक पेंशन के पात्र हेतु आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी कर लें ।
37.	वर्धित पारिवारिक पेंशन कब तक देय होती है ?	पेंशनर यदि जीवित रहा तो उसके 65 वर्ष की आयु होने तक अथवा उसकी मृत्यु के 7 वर्ष उपरांत तक, जो भी पहले हो तब तक वर्धित पारिवारिक पेंशन देय होती है ।
38.	पेंशन/ पारिवारिक पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारी कौन है?	सेवानिवृत्ति के समय पर जो पद धारण किया हुआ है, उसकी नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी ही पेंशन व उपदान संस्वीकृति के लिए सक्षम होगा ।
39.	पेंशन किस प्रकार संस्वीकृत होती है ?	संस्वीकृति प्राधिकार द्वारा प्रपत्र सं.-3 में पेंशन संस्वीकृत होती है ।
40.	पेंशन प्रकरणों की प्रक्रिया कब आरंभ होती है ?	प्रत्येक विभागाध्यक्ष को प्रपत्र 18 में, प्रत्येक छह महीनों में, यथा, प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को सभी राजपत्रित व गैर-राजपत्रित कर्मचारी, जो अगले %4 से 30 महीनों मे सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनकी एक सूची तैयार करनी होती है । इस सूची की एक प्रति लेखापरीक्षा अधिकारी (महालेखाकार) को 31 जनवरी तथा जुलाई तक, जैसा भी प्रकरण हो प्रदान करनी चाहिए ।
41.	सरकारी कर्मचारी को अपनी पेंशन का दावा करने के लिए क्या करना चाहिए ?	सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति की दिनांक से % वर्ष पूर्व, मेघालय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1983 के प्रपत्र संख्या 8 में, कार्यालयाध्यक्ष को पेंशन कागजात तैयार करने का कार्यभार लेना होगा । सेवानिवृत्ति की दिनांक से आठ माह पूर्व, सरकारी कर्मचारी को कुछ सूचनाएँ (यथा, पति-पत्नी की संयुक्त फोटो, पारिवारिक विवरण, जिस कोषाधिकारी से पेंशन आहरण करना चाहता है, उनके नाम आदि) अपने कार्यालय प्रमुख को देनी होती है । मेघालय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1983 के नियम

		65 व 66 की अपेक्षाओं की अनुपालना पश्चात्, कार्यालय प्रमुख महालेखाकार कार्यालय को सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति दिनांक से छह माह पूर्व प्रपत्र 5 में आवरण पत्र सहित विधिवत पूर्ण प्रपत्र 3 व प्रपत्र 4 के साथ सरकारी कर्मचारी की विधिवत पूर्ण अद्यतन सेवा-पुस्तिका तथा सेवा-सत्यापन हेतु अन्य विश्वसनीय दस्तावेज़ भेजने होंगें ।
42.	पारिवारिक पेंशनर को अपनी पारिवारिक पेंशन का दावा करने हेतु क्या करना होगा ?	कार्यालय/विभागीय प्रमुख को प्रपत्र 7 (पारिवारिक पेंशन की सूचना हेतु प्रपत्र) में पारिवारिक पेंशनर को पारिवारिक पेंशन हकदारी हेतु सूचना देनी होगी । जिसके उपरांत, पेंशनर प्रपत्र संख्या 8 (पारिवारिक पेंशन आवेदन हेतु प्रपत्र) में पारिवारिक पेंशन हेतु आवेदन करेगा । उपरोक्त प्रक्रिया की समाप्ति उपरांत, कार्यालय प्रमुख पारिवारिक पेंशन व मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की स्वीकृति प्रपत्र संख्या 1% में लेखापरीक्षा अधिकारी/ महालेखाकार को संलग्नक सूची यथा, (1) हितभागी के विधिवत साक्ष्यांकित नमूना हस्ताक्षर अथवा बाएँ हाथ के अंगूठे तथा अंगुलियों के निशान, (%) हितभागी की पासपोर्ट फोटो की दो साक्ष्यांकित प्रतियाँ तथा (3) हितभागी की विधिवत साक्ष्यांकित वर्णन नामावली अग्रेषित करें ।
43.	पारिवारिक पेंशन किस प्रकार संस्वीकृत होती है ?	संस्वीकृति प्राधिकरण प्रपत्र 10 में आवश्यक सेवा सत्यापन के उपरांत, प्रपत्र 9 में पारिवारिक पेंशन को संस्वीकृत करेगा । पेंशन व मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान को प्रपत्र संख्या 11 में आवश्यक निर्धारण करेगा ।
44.	क्या संपदा अधिकारी को कोई सूचना देने की आवश्यकता होती है, यदि हाँ, तो किसके द्वारा ?	हाँ, कार्यालय प्रमुख सरकारी कर्मचारी की प्रत्याशित सेवानिवृत्ति दिनांक से न्यूनातिन्यून दो वर्ष पूर्व "गैर-माँग प्रमाणपत्र" जारी करने हेतु संपदा अधिकारी को लिखेगा ।
45.	महालेखाकार को पेंशन कागज़ात किस प्रकार भेजे जाते है ?	विभागीय/कार्यालय अध्यक्ष महालेखाकार को प्रपत्र संख्या-5 में संलग्नकों (संलग्नकों हेतु हाइपरलिंक पर क्लिक करें) सहित पेंशन कागजातों को भेजेगा ।
46.	पेंशन को प्राधिकरण कौन करता है ?	कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रपत्र संख्या-5 में विधिवत प्रेषित पेंशन कागजातों की प्राप्ति पर, महालेखाकार के कार्यालय के पेंशन अनुभाग में इन कागजातों को जाँचा/सत्यापित किया जाएगा । यदि कागजात सुव्यवस्थित है, तो देय पेंशन राशि को निर्धारित किया जाएगा व तदोपरांत, पेंशन भुगतान आदेश (यथा, संवितरक भाग व पेंशनर भाग) कोषाधिकारी को, जिसे पेंशनर ने पेंशन आहरण हेतु चुना है, उनको पंजीकृत डाक द्वारा संप्रेषित किया जाएगा । इस संदर्भ में संबंधित पेंशनर को एक निजी प्रति भेजी जाएगी ।
47.	पेंशनर को यदि ज्ञात होता है कि	पेंशन भुगतान आदेश के पेंशनर भाग में मासिक देय पेंशन विवरण को

	उनकी पेंशन का उचित प्राधिकरण नहीं किया गया है, तो क्या करना चाहिए ?	दर्शाया जाएगा । यदि यह पाया गया कि पेंशन का त्रुटिपूर्ण निर्धारण किया गया है, तो महालेखाकार के कार्यालय के पेंशन अनुभाग को पेंशनर अपने प्रकरण का विवरण देते हुए लिखना चाहिए । पेंशनर इस पत्र को जिस कोषागार/ बैंक से पेंशन आहरण करता है, उसके माध्यम से प्रेषित करेगा ।
48.	अनंतिम पेंशन तथा अनंतिम उपदान क्या होते हैं ? क्या इनकी कोई सीमा होती है ?	सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समीप तथा उसकी पेंशन व उपदान के निर्धारण तथा निपटान से पहले, कार्यालय प्रमुख पेंशन/उपदान निर्धारित करेगा तथा इस प्रत्याशित राशि का 80% अनंतिम उपदान के रूप में भुगतान करेगा तथा पेंशन की पूर्ण राशि सेवानिवृत्ति से अधिकतम छह माह तक अथवा महालेखाकार के कार्यालय द्वारा पेंशन प्राधिकरण तिथि, जो भी पहले हो ।
49.	क्या लंबित विभागीय अथवा न्यायिक प्रक्रिया होने पर, अनंतिम पेंशन तथा अनंतिम उपदान स्वीकार्य होते हैं ?	हाँ, लेखापरीक्षा अधिकारी अनंतिम पेंशन जो कि अधिकतम स्वीकार्य पेंशन से अधिक नहीं हो सकती, को प्राधिकृत कर सकता है । यद्यपि, सरकारी कर्मचारी को किसी भी उपदान का भुगतान विभागीय अथवा न्यायिक प्रक्रिया की समाप्ति तक तथा अंतिम आदेश जारी होने तक प्राप्त नहीं होगी ।
50.	मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान से किसी भी प्रकार की वसूली की जा सकती है ?	हाँ, सरकारी कर्मचारी के विपरीत अनंतिम उपदान सहित सभी प्रकार के लंबित सरकारी देय मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की अंतिम राशि से समायोजित किए जाएंगें ।
51.	महंगाई राहत प्रारंभिक मूल पेंशन पर अथवा संराशीकरण उपरांत घटाई गई पेंशन पर देय होगा ?	मूल पेंशन के भाग के संराशीकरण उपरांत भी महंगाई राहत प्रारंभिक मूल पेंशन पर देय होगा ।
52.	पेंशन संराशीकरण पर क्या कोई प्रतिबंध होता है ?	हाँ, मेघालय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों, 1983 का नियम 9 में अनुबंधित किया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसके विपरीत सेवानिवृत्ति दिनांक से पूर्व विभागीय अथवा न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ की गई है अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत, पेंशनर के विपरीत ऐसी प्रक्रियाएं प्रारंभ की गई है, इन प्रक्रियाओं के लंबित रहते, पेंशन नियमों के नियम 64 के अंतर्गत प्राधिकृत उनकी अनंतिम पेंशन के एक अंश अथवा पेंशन को संराशीकृत करने हेतु पात्र होगा, जैसा भी मामला हो ।
53.	क्या पेंशन संराशीकरण की कोई सीमा होती है ?	एक सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन के एक तिहाई भाग तक को एकमुश्त भुगतान द्वारा संराशीकृत कर सकता है ।
54.	घटाई गई पेंशन की प्रभावी तिथि क्या होगी ?	पेंशन के संराशीकृत भाग के भुगतान हेतु, संराशीकरण के कारण से पेंशन राशि में कमी पेंशन के संराशीकृत मूल्य की प्राप्ति दिनांक से प्रभावी होगी अथवा महालेखाकार के कार्यालय से प्राधिकरण जारी करने के तीन

		महीने के अंत में, जो भी पहले हो ।
55.	पेंशन के संराशीकृत भाग के पुनःस्थापन हेतु 15 वर्ष की अवधि की किस प्रकार संगणना की जाती है ?	मेघालय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियमों, 199% के नियम 30 में अनुबंधित किया गया है कि पुनःस्थापन हेतु 15 वर्ष की अवधि की संगणना हेतु सेवानिवृत्ति की दिनांक से ही संगणना की जाती है ।
56.	इस विकल्प को चुनने से पहले पेंशनर की मृत्यु हो जाने के मामले में, क्या पेंशनर के पारिवारिक सदस्यों को पेंशन संराशीकरण का लाभ मिलेगा ?	मेघालय सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशन के एक भाग के संराशीकरण का विकल्प परिवार को नहीं मिल सकता है ।
57.	पेंशन के संराशीकृत भाग के पुनःस्थापन हेतु क्या महालेखाकार कार्यालय से किसी प्रकार के प्राधिकरण की आवश्यकता है ?	नहीं, निर्धारित प्रपत्र (पेंशन संराशीकरण नियमों, 199% के प्रपत्र-10 में) में पात्र पेंशनर से आवेदन प्राप्त होने पर, कोषागार/ बैंक द्वारा स्वतः, 15 वर्ष के पश्चात् (सेवानिवृत्ति की दिनांक से) अथवा जैसा भी मेघालय सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित किया गया है पेंशन के संराशीकृत भाग का पुनःस्थापन किया जाएगा ।
58.	घटाई गई पेंशन क्या होती है ?	पेंशन के संराशीकृत भाग की पेंशन से कटौती के बाद देय पेंशन के भाग को घटाई गई पेंशन कहा जाता है ।
59.	पेंशनर के खाते में यदि कोई अधिक पेंशन क्रेडिट कर दी गई है, तो क्या बैंक उसकी वसूली कर सकता है ?	पेंशन भुगतान से पूर्व, अदाकर्ता बैंक पेंशनर से एक लिखित वचनबंध लेना अनिवार्य है कि पेंशनर के खाते में अधिक पेंशन भुगतान की स्थिति में, बैंक द्वारा उसकी वसूली की जाएगी । इस वचनबंध के सार्मथ्य पर अदाकर्ता बैंक यदि किसी प्रकार का अधिक भुगतान करता है, तो उसकी वसूली कर सकता है ।
60.	%007-पूर्व पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन परिशोधन हेतु कौन से प्राधिकरण उत्तरदायी होते है ?	राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन संवितरण संचालन करने वाले सावर्जनिक उपक्रम बैंकों सहित सभी संवितरण प्राधिकरणों %007-पूर्व पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन परिशोधन हेतु प्राधिकृत है ।
61.	न्यूनतम/अधिकतम पेंशन क्या है ?	न्यूनतम पेंशन रूपये 3,%50/- से कम नहीं होगी तथा अधिकतम पेंशन रूपये %4,490/- से अधिक नहीं होगी ।
62.	पेंशनरों का चिकित्सा भत्ता कितना होता है ?	700/- रूपये प्रतिमाह ।
63.	क्या नियोजित पारिवारिक पेंशनर/ पुनःनियोजित पेंशनर अपनी पारिवारिक पेंशन/ पेंशन पर महंगाई राहत हेतु पात्र होते हैं ?	नहीं ।

64.	क्या सेवानिवृत्ति उपदान/ मृत्यु उपदान, पेंशन का संराशीकृत मूल्य करयोग्य होता है ?	आयकर अधिनियम के अंतर्गत, सेवानिवृत्ति/ मृत्यु उपदान तथा पेंशन संराशीकरण से प्राप्त एकमुश्त राशि करयोग्य नहीं है ।
65.	क्या पेंशन भुगतानों से स्त्रोत पर आयकर की कटौती की जा सकती है ?	हाँ, कोषाधिकारी/ बैंक समय-समय पर निर्धारित दर पर पेंशन भुगतानों से स्त्रोत पर आयकर की कटौती हेतु उत्तरदायी होंगें । पेंशनरों द्वारा योग्य बचतों के उचित व स्वीकार्य प्रमाण प्रस्तुत करने पर, कोषाधिकारी/बैंक पेंशन भुगतानों से ऐसे कर की कटौती के दौरान, समय-समय पर आयकर अधिनियम के अंतर्गत राहत के कारण उपलब्ध कटौतियों को अनुमोदित करेंगें । आयकर नियमों के कोषाधिकारी/बैंक पेंशनर को प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह निर्धारित प्रपत्रों में कर कटौती प्रमाणपत्र भी जारी करेंगें ।
66.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु सरकारी कर्मचारी कब आवेदन कर सकते हैं ?	एक सरकारी कर्मचारी %0 वर्षो की सरकारी सेवा संपूर्ण करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन कर सकता है ।
67.	निम्नलिखित शब्दावली के क्या पर्याय है ? (क) पेंशन संवितरण प्राधिकृति, (ख) पेंशन संस्वीकृति प्राधिकृति, (ग) पीपीओ निर्गम प्राधिकृति	(क) पेंशन संवितरण प्राधिकृतिः आपकी पेंशन अदाकर्ता बैंक शाखा/ कोषाधिकारी । (ख) पेंशन संस्वीकृति प्राधिकृतिः वह प्राधिकृति जो महालेखाकार के कार्यालय को भेजने से पहले पेंशन संस्वीकृत करती है । (ग) पीपीओ निर्गम प्राधिकृतिः महालेखाकार (ले.व.ह.) मेघालय, शिलॉग ।